

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 493 / गोपनीय / 2017
दो-3-250 / 57 (भाग-35)


जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एकट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3/2015/21-ब(एक), दिनांक 04-03-2017, 06-03-2017 एवं 07-03-2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अनुराग सिंह सुमन (मेरिट क्रमांक 54)	हरदा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, हरदा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज)।
2	सुश्री निधि शाक्यवार (मेरिट क्रमांक 60)	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज)।
3	श्री संजीव पिपलादिया (मेरिट क्रमांक 63)	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नरसिंहपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज)।
4	सुश्री गरिमा सिंह (मेरिट क्रमांक 65)	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज)।
5	श्री अरुण सिंह अलावा (मेरिट क्रमांक 82)	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायसेन के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज)।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


(मनोहर ममतानी) 21/3/17
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 494 / गोपनीय / 2017
दो-3-250 / 57 (भाग-35)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

प्रतिलिपि –


- उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-6 को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004 को सूचनार्थ अग्रेषित।



3. प्रधान महालेखाकार (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002 को सूचनार्थ अग्रेषित।
 4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश – ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 5.
 1. श्री अनुराग सिंह सुमन पिता श्री चंद्रपाल सुमन, म.नं. 93 सेक्टर-ए, शिवधाम कालोनी, खण्डवा रोड ग्राम लिम्बोदी, थाना-तेजाजी नगर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश,
 2. सुश्री निधि शाक्यवार पिता श्री नरोत्तम दास शाक्यवार, 52/16, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली पिनकोड़-110060,
 3. श्री संजीव पिपलादिया पिता श्री किशन पिपलादिया, म.नं. 06, नाकोड़ा नगर, टेलीफोन एक्स. के पास, थाना-सिटी कोतवाली, खण्डवा मध्यप्रदेश,
 4. सुश्री गरिमा सिंह पुत्री श्री कैलाश सिंह, 23, कामना नगर, मील (बालगढ़ रोड) मल्हार नर्सरी के सामने, सहजयोग ध्यान केन्द्र, चामुंडा अपार्टमेन्ट, जिला देवास, मध्यप्रदेश पिनकोड़-455001,
 5. श्री अरुण सिंह अलावा पिता श्री कालू सिंह अलावा, B-2 जी स्कीम नं. 103, केशर बाग रोड जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना के स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेवें तथा पदभार ग्रहण संबंधी सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से तत्काल उच्च न्यायालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
 6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा/उज्जैन/नरसिंहपुर/अशोकनगर/रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया नवनियुक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन की प्रति इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें। वे कृपया संबंधित प्रशिक्षणार्थी व्यवहार न्यायाधीश को रजिस्ट्री अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 670/गोपनीय/2011, दिनांक 30-04-2011 के साथ संलग्न प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- यह भी निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त न्यायाधीश उनके जिला न्यायाधीशों के निर्देशानुसार जिले में पदस्थ विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों में उनके साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, सिवाय जबकि वे मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों। यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित प्रशिक्षणार्थी व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी तिथि की सूचना अलग से प्रेषित की जावेगी।
7. संभागीय आयुक्त _____ जिलाध्यक्ष _____ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जनरल पूल का आवास गृह न्यायिक अधिकारी के आधिपत्य में होने की दशा में उक्त आवासग्रह का आवंटन प्रचलित परिपाटी के अनुसार अर्हता प्राप्त न्यायिक अधिकारी को करने का कष्ट करें। और ऐसे आवंटन की सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देने का कष्ट करें।
 8. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इंदौर-452001/जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर/इंदौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (वी०एल)/ (न्यायिक-१)/ (न्यायिक-२)/रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- (7) संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 9 रजिस्ट्रार (ई0) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 10 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर / इन्डौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर / ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।



२१/३/१७
 (मनोहर ममताना)
 रजिस्ट्रार जनरल
 स्पृ